न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 29/2012/राजस्व वाद

उनवान

1. बालाराम पि. कंवरलाल जाति गुर्जर नि. रायपुर तहसील रायपुर – वादीगण

बनाम

1. घांसीखां पि. भूरेखां जाति मेवाती मुसलमान नि. रायपुर तहसील रायपुर
2. अब्दुल रहमान पि. भूरेखां जाति मेवाती मुसलमान नि. रायपुर तहसील रायपुर
3. जन्नतबाई पुत्री भूरेखां जाति मेवाती मुसलमान नि. रायपुर तहसील रायपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 89 , 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादीगण – श्री विनोद शर्मा

दिनांक : 24/01/2023

निर्णय

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा ग्राम रायपुर तहसील रायपुर की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 1324 रकबा 18 बिस्वा भूमि के संबंध में राजस्थान टीनेन्सी एक्ट की धारा 88 , 89 , 209 के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि को खातेदार भूरेखां व हसन खां ने दिनांक 13.10.1958 को वादी के पिता कंवरलाल को 61 रूपये में बेचानकर कब्जा आराजियात वादी के पिता को संभला दिया था तब से यानि वर्ष 1958 से पहले वादी के पिता का एवं वादी के पिता की मृत्यु के बाद वादी का कब्जा निरन्तर आज दिनांक तक सरेआम चला आ रहा है। वादी का कब्जा मुखालपाना पूर्ण हो चुका है एवं इस आधार पर वादी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार विपरीत कब्जे के आधार पर दर्ज करवाने का कानूनी अधिकारी है। प्रतिवादीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहां धारा 188 रा.टी. एक्ट में एक वाद पेश किया था जिसका प्रकरण [illegible]/2004 था जिसका निर्णय दिनांक 29.03.2004 को किया गया है। उक्त निर्णय में [illegible] आराजी ख.नं. 1324

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:14:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with CamScanner

रकबा 18 बिस्वा पर वादी का कब्जा उसके पिता के समय से मानकर प्रतिवादीगण का दावा मेरिट पर खारीज किया गया था जिसकी अपील प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय भूप्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा में की थी जिसके प्रकरण सं. 187/2006 का निर्णय भी दिनांक 19.03.2007 को पारित कर प्रतिवादीगण की अपील वादी का कब्जा मानकर खारीज कर दी गई जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पर वादी का कब्जा अपने पिता के जमाने से चला आ रहा है। वाद कारण दिनांक 20.07.2011 को उत्पन्न हुआ जब वादी ने प्रतिवादीगण से वाउग्रस्त आराजी का वादी के खातेदारी में कराने की कही एवं वे इंकार हो गये।

अतः वाद वादी स्वीकार कर ग्राम रायपुर की आराजी ख.नं. 1324 रकबा 18 बिस्वा भूमि का वादी को खातेदार घोषित कर प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी में वादी के कब्जे काश्त में विघ्न व्यवधान पैदा नहीं करें। वाद पत्र के साथ न्यायालय भूप्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा का निर्णय दिनांक 19.03.2007 की प्रमाणित प्रति , उपखण्ड अधिकारी पिडावा के निर्णय दिनांक 29.03.2004 की प्रमाणित प्रति , नकल जमाबंदी सं. 2065–68 के खाता सं. 138 की नकल पेश की।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब करने पर प्रतिवादीगण की ओर से एडवोकेट हनीफ मेव ने वकालातनामा पेश किया परन्तु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब पेश नहीं किया एवं दिनांक 24.07.2013 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही गई।

साक्ष्यवादी में वादी बालाराम पि. कंवरलाल का शपथ पत्र पेश किया गया। वकील वादी की एकतरफा बहस सुनी गई।

वाद पत्र , राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेज का अवलोकन किया गया एवं विद्धान अभिभाषक द्वारा की बहस पर गौर किया गया। प्रस्तुत वाद में यह पाया कि ग्राम रायपुर की आराजी ख.नं. 1324 रकबा 18 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण के खाते दर्ज रिकार्ड है। वाद पत्र में उल्लेखित तथ्यो अनुसार वादी के पिता ने उक्त वादग्रस्त आराजी को तत्कीलन खातेदार भूरेखां व हसन खां से दिनांक 13.10.1958 को 61 रूपये में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। वादी [illegible] विक्रय के संबंध में कोई लिखित दस्तावेज पेश नहीं किया न ही [illegible] दावे में काउन्टर वाद पेश कर खातेदारी की घोषणा चाही। इस प्रकार [illegible] अपने वाद के तथ्यों को

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:14:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

साबित नहीं करा पाया मात्र एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी की घोषणा चाही गई जो कि उचित नहीं है।

आदेश

अतः ग्राम रायपुर की आराजी ख.नं. 1324 रकबा 18 बिस्वा भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद में एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी की घोषणा चाही गई जो कि उचित नहीं होने से वाद वादी खारीज कियो जाता है।

पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना – अपना वहन करें। निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अभिषेक चारण)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:14:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

बइजलास – श्री अभिषेक चारण (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 29 / 2012 / राजस्व वाद

उनवान

1. बालाराम पि. कंवरलाल जाति गुर्जर नि. रायपुर तहसील रायपुर

– वादीगण

बनाम

1. घांसीखां पि. भूरेखां जाति मेवाती मुसलमान नि. रायपुर तहसील रायपुर
2. अब्दुल रहमान पि. भूरेखां जाति मेवाती मुसलमान नि. रायपुर तहसील रायपुर
3. जन्नतबाई पुत्री भूरेखां जाति मेवाती मुसलमान नि. रायपुर तहसील रायपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर

–प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 89 , 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति – वकील वादीगण – श्री विनोद शर्मा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....व हाजिरी वकील वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू वकील प्रतिवादी मिलजामिन मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

ग्राम रायपुर की आराजी ख.नं. 1324 रकबा 18 बिस्वा भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद में एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी की घोषणा चाही गई जो कि उचित नहीं होने से वाद वादी खारीज कियो जाता है।

निज .... मुबलिग .... बाबत् .... खर्चा इस मुकदमें के मय सुद बशरह ....सदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24/01/23 को जारी की गई।

(अभिषेक चारण)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा

जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज०)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक मीजान			मीजान		

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhishek Charan
Date: 2023.01.30 14:14:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner